(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

स.एफ. 9-49/2001-यू.3(ए) पार्ट-3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1

दिनांक 17 मई, 2017

अधिसूचना

जबकि 'कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट), भुवनेश्वर, ओडिशा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ.9-49/2001-यू.3, दिनांक 16 फरवरी, 2004 द्वारा, पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन, सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

2. **और जबकि**, इस मंत्रालय की दिनांक 16.02.2004 की अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, यूजीसी विशेषज्ञ समिति और एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति ने वर्ष 2008 में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए इस संस्थान का दौरा किया था। एआईसीटीई की विशेषज्ञ समिति ने यह इंगित किया कि "कीट सम विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में पीएच.डी अर्हता प्राप्त संकाय की संख्या 50% से कम है" जिसे तीन महीनों के भीतर दूर करने की आवश्यकता है।

3. समिति की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2009 को आयोजित इसकी 461वीं बैठक में आयोग के समक्ष रखी गई थी जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:

"आयोग ने यूजीसी अध्यक्ष द्वारा गठित यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार कर उसे अनुमोदित किया तथा कीट, भुवनेश्वर, उड़ीसा को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति और उसके परामर्श से पांच वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन भुवनेश्वर, उड़ीसा को सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखे जाने के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश के लिए आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट की एक प्रति सम विश्वविद्यालय को उसकी कमियों/सुझावों के अनुपालन करने की दिशा में भेजी जा सकती है और वे तीन महीनों के भीतर इस आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजें।"

4. **और जबकि:,** केन्द्र सरकार यूजीसी के परामर्श पर '**कलिंगा ओद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट)' भुवनेश्वर, ओडिशा** को सम विश्वविद्यालय का दर्जा इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 9-49/2001-यूटी दिनांक 16 फरवरी, 2004 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि अर्थात 16.02.2009 से 15.02.2014 तक जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है। यह भी शामिल

किया गया कि आगे सम विश्वविद्यालय का विस्तारण तभी होगा जब एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 2008 में इंगित की गई कमियों को दूर किया जाता है।

5. **और जबकि,** यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने सम विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए दिनांक 9-11 दिसंबर, 2016 में कीट सम विश्वविद्यालय का दौरा किया। आयोग ने दिनांक 14 दिसंबर, 2016 को आयोजित इसकी 520वीं बैठक में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे निम्नवत संकल्प लिया:

"विचार किया और इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि इंगित की गई सारी कमियों को, यदि कोई हो, तो उसमें सुधार किया जाएगा और विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों को 6 महीने के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्ताव की जाएगी"।

6. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, यूजीसी के परामर्श से एतदद्वारा कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट), भुवनेश्वर, ओडिशा को दिनांक 16.02.2014 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करती है बशर्ते कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इंगित की गई सारी कमियों में इस संस्थान द्वारा सुधार किया जाएगा। यह अनुमोदन आगे इस शर्त के अध्याधीन है कि यह संस्थान मौजूदा यूजीसी विनियमों के अनुसार इसके एमओए/नियमों में सुधार करेगा।

प्रवीण कुमार

(प्रवीण कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित:</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली इस अनुरोध के साथ कि मौजूदा विनियमों के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार इस संस्थान की समीक्षा करें।
2. कुलपति, 'कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (कीट)', सम-विश्वविद्यालय भुवनेश्वर , ओडिशा
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

4. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077
5. सचिव, भारतीय दंत परिषद, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड़, टेंपल लेन, माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वुमन के विपरीत नई दिल्ली-110002
6. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, कम्बाइंड परिषद बिल्डिंग, कोटला रोड, टेंपल लेन, नई दिल्ली।
7. सचिव, भारतीय बार परिषद 21, राउज एवेन्यू, संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110002
8. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार
9. पत्र सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
10. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करे।
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)

निदेशक